तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1642 / 2005 / अलवर संतराम बनाम लीलाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री गणेश कुमार, सदस्य

उपस्थितः—

श्री अविनाश माथुर, अधिवक्ता, प्रार्थी।

श्री अजयपाल ढिंढारिया, अधिवक्ता अप्रार्थी।

——

निर्णय

दिनांक 14—12—2021

यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की घारा 230 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 24—03—2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई हैं,जिसके द्वारा उन्होंने आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।

योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता निगराकार ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों कों दौहराते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण ने श्रीराम पुत्र बुल्ला जो कि विवादित भूमि का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार था, से विवादित भूमि मूल्यावान प्रतिफल देकर जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 29—08—97 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था व उनके पक्ष में नामान्तरकरण सं0 421 भी तस्दीक किया गया था, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का हित वाद में निहित है व वाद के निर्णय से प्रार्थीगण के हित प्रभावित होंगे, इसी कारण उनके द्वारा आदेश 1 नियम 10 सी0पी0सी0 का प्रार्थना पत्र विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया किन्तु उन्होंने उसे खारिज कर दिया, जिसे उचित व न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें न्यायहित में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1642 / 2005 / अलवर संतराम बनाम लीलाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पक्षकार बनाया जाना चाहिए था। उनका यह भी तर्क था कि प्रारम्भिक डिक्री से कोई फर्क नहीं पड़ता है किन्तु अंतिम डिक्री में आराजी का वास्तविक भौतिक बंटवारा कर अलग अलग खाते कायम किए जाते है, इस कारण अंतिम डिक्री में कब्जा काश्त एवं अधिकारों पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े व नियमानुसार बंटवारे की अंतिम डिक्री जारी हो सके, इस कारण प्रार्थीगण ने पक्षकार बनने हेतु प्रार्थना पत्र किया था, जिसे खारिज करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 24–03–2005 को निरस्त किया जावें। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने तर्क दिया कि प्रार्थी ने विवादित आराजी वाद के विचाराधीन रहते हुए क्रय की है एवं प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद भूमि क्रय की है। वाद में पक्षकार नहीं रहा है व होने वाले निर्णय से बाध्य होगा। वाद में आवश्यक पक्षकार नहीं है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश उचित व विधि सम्मत है। अतः निगरानी खारिज की जावें। बहस पर मनन किया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत प्रकरण में यह तथ्य निर्विवाद है कि बंटवारे के वाद में प्रारम्भिक डिक्री जारी होने के बाद प्रार्थीगण ने 1/3 हिस्सा क्रय किया है और प्रारम्भिक डिक्री में प्रार्थीगण पक्षकार नहीं थे अर्थात प्रार्थीगण द्वारा उक्त सम्पति दौराने वाद क्रय की है अर्थात लिसपेन्डेंसी ऑफ सूट का सिद्धांत प्रभावी होता है और	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी / टीए / 1642 / 2005 / अलवर संतराम बनाम लीलाराम	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 24–03–2005 में यह तथ्य उल्लेखित किया है और स्पष्ट किया है कि ''प्रारम्भिक डिक्री वाद के पक्षकारों के बीच में ही भूमि का विभाजन किया जावें। प्रार्थीगण ने जिस विक्रेता से भूमि क्रय की है वह उसी के फुट स्टेप से आकर भूमि प्राप्त कर सकता है'' और वैसे भी आदेश 1 नियम 10 (2) सी0पी0सी0 में यह व्यवस्था दी गई है कि वह व्यक्ति वाद में पक्षकार है, जिसकी उपस्थिति के बिना डिक्री पारित नहीं हो सकती है। दौराने वाद अथवा डिक्री जारी होनें के बाद पश्चातवर्ती क्रेता वाद के पक्षकारों के मध्य हुई डिक्री से बाध्य होता है वह न तो आवश्यक पक्षकार है और न ही समुचित पक्षकार और यह सिद्धांत माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आर0एल0डब्ल्यू 2008 (2) आर0जे0 पेज 1128 कोयली बनाम स्टेट ऑफ राज0 में प्रतिपादित किया है। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–2005 में कोई अवैधता, अनियमितता एवं अयुक्तियुक्ता प्रतीत नहीं होती है एवं उक्त आदेश पुष्टि किए जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह निगरानी खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी, मुण्डावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 24–03–2005 की पुष्टि की जाती है। पत्रावली बाद तामील व तकमील दाखिल दफ्तर की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। (गणेश कुमार) सदस्य	